दैनिक भास्कर

रायपुर 05-08-2025

सुनवाई से शीर्ष अदालत का इनकार, कहा- हर मामले की सुनवाई हम करेंगे तो बाकी अदालतों का क्या उपयोग

भूपेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट जाएं

भास्कर न्यूज़|रायपुर

छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की याचिका

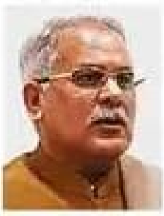

पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हर मामले की सुनवाई हम करेंगे तो बाकी अदालतों का क्या उपयोग रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह दोनों की अर्जियों पर जल्द सुनवाई करे।

जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सख्त टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा, 'दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने के साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग भी की है, जो उचित नहीं है। भूपेश और चैतन्य के सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर भी सवाल उठाया। कहा कि जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अगर हम ही हर मामले की सुनवाई करेंगे, तो अन्य अदालतों का क्या उपयोग रह जाएगा? अगर ऐसा होता रहा तो फिर गरीब लोग कहां जाएंगे? एक आम आदमी और साधारण वकील के पास सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने की कोई जगह ही नहीं बचेगी।'

शेष|पेज 9

चैतन्य की बढ़ी रिमांड, 18 तक रहेंगे जेल में

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सोमवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चैतन्य की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। चैतन्य बघेल को 18 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 14 दिनों की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।

वारंट जारी नहीं तो अग्रिम जमानत अर्जी क्यों: शर्मा

बालोद| बालोद जिले के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने

बीजेपी जिला कार्यालय से निकलते समय पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा। डिप्टी सीएम ने कहा कि उनके खिलाफ तो कोई वारंट ही जारी नहीं हुआ है। ऐसे में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना समझ से परे है। उन्हें किस बात का डर सता रहा हैं।